राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक / क–2 / 2019 जयपुर, दिनांकः 20 JAN 2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण–पत्र आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण–पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो।

अतः सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावे तथा भर्ती विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जावे, ताकि भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

20/1/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

circular - 123